राष्ट्रीय डिजाइन नीति

पृष्ठभूमि

राष™ÒüßµÖ †Öî¸ü औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता êú ×»Ö‹ डिजाइन के रणनीतिक महत्व को अब सर्वत्र मान्यता दी जाती है। डिजाइन में नवप्रयोगों के माध्यम से मूल्य संवर्धन की विनिर्माण और सेवा प्रदाता उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

2. आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास में तथा उत्पादों व सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में डिजाइन के बढ़ते महत्व को देखते हुए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय डिजाइन नीति की वृहद् रूपरेखा तैयार करने के लिए उद्योग, डिजाइनरों तथा अन्य पणधारकों के साथ एक परामर्श प्रक्रिया आरंभ की थी। 'राष्ट्रीय डिजाइन नीति' शुरू करने के पीछे एक ''डिजाइन समर्थ भारतीय उद्योग'' का विजन है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और जीवन की गुणवत्ता को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सके।

विजन और रणनीति

3. राष्ट्रीय डिजाइन नीति के विजन में निम्नलिखित की परिकल्पना है :

i. डिजाइन को पारंपरिक और प्रौद्योगिकीय संसाधनों के साथ समेकित करने के लिए अनेक सेक्टरों, राज्यों और क्षेत्रों में रचनात्मक डिजाइन विकास, डिजाइन संवर्धन और साझेदारियों के लिए एक मंच तैयार करना;

ii. अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन संगठनों के साथ रणनीतिक एकीकरण व सहयोग के जरिये भारतीय डिजाइनों और नवप्रयोगों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत करना;

iii. भारतीय डिजाइनों को वैश्विक रूप से स्थापित करना और ब्रांड का रूप देना तथा ''मेड इन इंडिया'' और ''सर्व्ड फ्रॉम इंडिया'' के सहयोजन में ''डिजाइन्ड इन इंडिया'' को गुणवत्ता एवं उपयोगिता की जनोक्ति बनाना;

iv. एक भली-भांति परिभाषित व प्रबंधित विनियामक, संवर्धनात्मक और संस्थागत ढांचे के जरिये भारतीय डिजाइनों को बढ़ावा देना;

v. भारतीय डिजाइन शिक्षा को वैश्विक उत्कृष्ता के मानकों तक उठाना;

vi. भारत की समृद्ध शिल्प परंपरा एवं सांस्कृतिक विरासत का उपयोग करके उत्पादों और सेवाओं में मूल भारतीय डिजाइनों की रचना करना;

vii. एक डिजाइन समर्थ नवप्रयोगशील अर्थव्यवस्था का स्तर प्राप्त करने के लिए भारत को डिजाइनों, डिजाइनों के निर्यात व आउटसोर्सिंग और रचनात्मक प्रक्रिया का विशाल हब बनाना;

viii. डिजाइन के जरिये उत्पादों और सेवाओं के समग्र अनुभवगम्य और गैर-अनुभवगम्य गुणवत्ता मानदंडों में वृद्धि करना;

ix. मूल डिजाइनों के प्रतिस्पर्धात्मक लाभों के बारे में विनिर्माताओं और सेवादाताओं, विशेषकर लघु और मझौले उपक्रमों तथा कुटीर उद्योगों, के बीच जागरूकता का सृजन करना;

x. डिजाइन सेवाओं और डिजाइन संबंधी अनुसंधान तथा विकास में निवेश आकर्षित करना जिनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी शामिल हैं; तथा

xi. डिजाइन व्यवसाय के सहयोगात्मक विकास में उद्योगों तथा पेशेवर डिजाइनरों को शामिल करना;

इस विजन को प्राप्त करने की रणनीति में इन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता डिजाइन शिक्षा को सुदृढ़ करना, लघु और कुटीर उद्योगों एवं शिल्पियों द्वारा डिजाइन उपयोग किए जाने को प्रोत्साहित करना, डिजाइन व्यवसाय के विकास में उद्योगों और डिजाइनरों की सक्रिय भागीदारी को सुगम बनाना, भारतीय डिजाइनों को भारत में तथा विदेशों में ब्रांड रूप देना तथा उन्हें स्थापित करना, डिजाइन और डिजाइन सेवा निर्यातों को बढ़ाना, और एक सक्षमकारी वातावरण का निर्माण करना, जो मूल डिजाइनों को मान्यता दे व पुरस्कृत करे।

कार्य-योजना

4. राष्ट्रीय डिजाइन नीति के कार्यान्वयन की कार्ययोजना के निम्नलिखित घटक होंगे :

i. ऑटोमोबाइल और परिवहन, आभूषण, चमड़ा, सॉफ्ट गुड्स, इलेक्ट्रोनिक्स/आई टी हार्डवेयर उत्पादों, खिलौने और गेम जैसे क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञता वाले डिजाइन केंद्र या ''नवप्रयोग हब'' स्थापित करना, जो वेंचर फंडिंग, डिजाइन-प्रेरित उद्यमों की शुरूआत हेतु ऋण व बाजार विकास सहायता; और युवा डिजाइनर डिजाइन फर्मों/हाउसों जैसी प्रणालियों के जरिये उद्यमों को सुरक्षा तथा वित्तीय सहायता के साथ-साथ त्वरित उत्पाद विकास, उच्च कार्य-निष्पादन विश्लेषण जैसे सक्षमकारी माध्यम उपलब्ध करायेंगे।

ii. चुनिंदा स्थानों/औद्योगिक क्लस्टरों/पिछड़े राज्यों, विशेषकर पूर्वोत्तर में, डिजाइन केंद्रों/नवप्रयोगकारी हबों की स्थापना हेतु स्कीम तैयार करना।

iii. प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु और डिजाइन की विशिष्ट प्रक्रियाओं/क्षेत्रों में प्रशिक्षण योजना तैयार करने के लिए योजना तैयार करना तथा डिजाइन केंद्रों/नवप्रयोग हबों के प्रैक्टिसरत डिजाइनरों के लिए शिक्षा कार्यक्रमों को जारी रखना।

iv. भारतीय डिजाइनों के लिए एक ब्रांड छवि का निर्माण करने की दृष्टि से, मौलिकता, नवप्रयोग, सौंदर्यपरक आकर्षण, उपयोगकर्ता-केंद्रित, अर्गोनोमिक विशेषताएं, सुरक्षा और पर्यावरण अनुकूलता जैसे मुख्य डिजाइन मानदंडों को पूरा करने वाले इंडिया डिजाइन मार्क पुरस्कार के जरिये भारतीय डिजाइनों के लिए एक ब्रांड छवि का निर्माण करने की उपलब्धि हासिल करने वाले और उद्योगो से जुड़े लोगों को मान्यता देने एवं उन्हें पुरस्कृत करने हेतु प्रणाली तैयार करना।

v. भारतीय डिजाइनों में सुधार करने हेतु प्रौद्योगिकी व तकनीकी जानकारी हासिल करने के लिए विदेशी डिजाइन फर्मों और संस्थाओं से रणनीतिक गठजोड़ करने हेतु भारतीय फर्मों व संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।

vi. भारत में डिजाइनों में स्थायी गुणवत्ता सुधार हेतु प्रणालियां तैयार करना।

vii. मौजूदा डिजाइन संस्थाओं और फैकल्टी संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्नयन करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करना, विशेषकर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) एवं उसके नए कैंपसों/केंद्रों के संबंध में। भारत के सभी क्षेत्रों में डिजाइनों के बारे में गुणवत्ता की शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में एन आई डी की तर्ज पर चार और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों की स्थापना की जाएगी। वर्तमान आर्थिक और शैक्षिक निदर्शनों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे संस्थानों की स्थापना हेतु नए माडलों की संभावना का पता लगाया जाएगा। इस संदर्भ में, सरकारी-निजी साझेदारी की विधि एक विकल्प हो सकता है।

viii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3(च) के तहत राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों के लिए ''निर्णीत विश्वविद्यालय'' अथवा ''विश्वविद्यालय'' के दर्जे के लिए कार्यवाही शुरू करना, ताकि वे वर्तमान में दिए जाने वाले डिप्लोमा के बजाए, बी.डिज. और एम. डिज. की डिग्रियां प्रदान कर सकें।

ix. सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई आई टी) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) में तथा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित कॉलेज आफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटैक्चर में डिजाइन विभागों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

x. इंजीनियरिंग डिजाइन, मशीनरी डिजाइन, प्रक्रिया डिजाइन, डिजाइन सामग्री, पर्यावरण की दृष्टि से उत्तम तथा सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से प्रासंगिक डिजाइनों की गुणवत्ता का उन्नयन करना।

xi. व्यावसायिक संस्थानों में, जो भारतीय उद्योगों विशेषकर लघु व कुटीर उद्योगों की आवश्यकताओं की ओर उन्मुख हों, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में तथा तृतीयक शैक्षिक संस्थाओं में डिजाइन की शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

xii. एन आई डी और दूसरी डिजाइन संस्थाओं द्वारा लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनवरत शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाना जिनका लक्ष्य जरूरतमंद क्षेत्र हों और जो कृषि एवं दस्तकारी क्षेत्र सहित विविध क्षेत्रों की आवश्कताओं को पूरा करें।

xiii. भारत के विभिन्न भागों में विशेषकर डिजाइन प्रक्रियाओं के गैर-अनुभगम्य पहलुओं के बारे में उद्योगपतियों के वर्तमान जागरूकता स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन करना विशेषकर कुटीर क्षेत्रों में।

xiv. वैश्विक विरासत के प्रति संवेदनशालता दिखाते हुए, भारत के पारंपरिक ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को बनाये रखना एवं मजबूत बनाना ताकि विविध प्रकार के उपयोगों एवं व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने की दृष्टि से नवप्रयोगात्मक उत्पादों के विनिर्माण एवं पारंपरिक शिल्पों को सामयिक बनाने के कार्य में हमारे जमीनी कामगारों, शिल्पकारों एवं दस्तकारों की सेवाएं ली जा सकें।

xv. डिजाइन पेशेवरों के पंजीकरण एवं पेशे के मानक तय करने संबंधी विभिन्न मामलों को प्रशासित करने के लिए एक 'चार्टर्ड सोसायटी फॉर डिजाइनर्स' की स्थापना (इंस्टिच्यूट ऑफ इंजीनियर्स, इंस्टिच्यूट आफॅ आर्किटैट्स, मेडिकल काउंसिल, बार काउंसिल, आदि की तर्ज पर) को सुगम बनाना।

xvi. जीवन के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर उद्योगों से, सुप्रसिद्ध हस्तियों को चुनकर एक इंडिया डिजाइन काउंसिल (आई डी सी) की स्थापना करना, जिसके कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- भारत तथा विदेश में डिजाइन जागरूकता और प्रभाविता, कार्यक्रम हाथ में लेना; और
- सभी पणधारकों (प्रभावित पक्षों) के साथ बातचीत हेतु एक मंच के तौर पर कार्य करना;
- अनुसंधान और विकास तथा रणनीति एवं प्रभाव अध्ययन हाथ में लेना;
- डिजाइन संस्थाओं को मान्यता देना;
- भारत में डिजाइन शिक्षा देने वाली समस्त संस्थाओं के लिए डिजाइन पाठ्यक्रम तैयार करना व उसे मानक रूप देना;
- नई डिजाइन रणनीतियों के निरंतर मूल्यांकन एवं विकास हेतु कार्यक्रम चलाना;
- देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए डिजाइनों के जरिये गुणवत्ता प्रणालियों का विकास और क्रियान्वयन;
- नये डिजाइनों के पंजीकरण की प्रक्रियाओं और प्रणालियों के सरलीकरण को सुगम बनाने की दृष्टि से सरकार के साथ सहयोग;
- उद्योगों द्वारा अपने मौजूदा व नए उत्पादों हेतु डिजाइनरों की सेवाएं लेने में उनकी सहायता करना;
- दूसरे देशों तथा भारत की डिजाइन क्षमताओं की आउटसोर्सिंग सहित, भारतीय उत्पादों और सेवाओं के डिजाइन व डिजाइन-प्रेरित निर्यातों को बढ़ावा देना;
- भारत में निर्मित डिजाइनों के लिए ''जन्म से मृत्यु तक पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण '' की दिशा में प्रभावी कदम उठाना, ताकि उन्हें 'व्यवहार्य डिजाइनों' के तौर पर वैश्विक रूप से स्वीकृति मिले;
- भारत में डिजाइनरों को उत्पाद विकास तथा नवप्रवर्तन के लिए विश्व प्रवृत्तियों तथा बाजार सतर्कता और प्रौद्योगिकी साधनों तक पहुँच पाने में सक्षम होना।
- धन सृजन के लिए नये डिजाइन-सह उपक्रमों के सृजन को प्रोत्साहित करते समय आचार संहिता संबंधी डिजाइन जानकारी देने के लिए शैक्षिणिक तथा उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- डिजाइन के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा के सृजन तथा संरक्षण हेतु संस्कृति को प्रोत्साहित करना तथा सरल बनाना।